कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (छ.ग.)

ठे.प.क्र. प.अ./48338099 /सी./2009 रायपुर, दिनांक 25/11/2009

प्रति,

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन
कार्पोरेशन लिमिटेड
अशोक विहार कालोनी, स्ट्रीट नं. 5,
पंढरी, रायपुर (छ0ग0)

अपर संचालक (वित्त)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, रायपुर

विषय :- अ–पांच श्रेणी में ठेकेदार के पंजीयन बाबत् ।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 19/11/2009

महोदय,

आपका नाम इस विभाग के पंजीकृत ठेकेदारों की सूची अ–पांच श्रेणी में पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण इस पत्र के जारी होने के दिनांक से पांच वर्ष तक नीचे दर्शाई गई शर्तों के अनुपालन के अंतर्गत प्रभावशील रहेगा। आप कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग एक की पैरा 2.047 एवं [illegible] के अनुसार सिविल कार्य के कुल रूपये असीमित तक के निर्माण कार्य संपूर्ण छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में लेने हेतु निविदा प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होंगे।

2. अगर कोई शासकीय धन राशि आपकी ओर बकाया रहती है तो उसकी वसूली आपसे की जावेगी। आपको इस पंजीयन के नवीनीकरण हेतु निर्धारित फार्म में पंजीयन अवधि समाप्त होने के तीन माह पूर्व आवेदन करना होगा।
3. आपकी शुल्क रसीद मूलतः वापस किये जाते है।
4. आवेदन पत्र के साथ दी गई भागीदारी, तकनीकी कर्मचारियों आदि की जानकारी में कोई बदलाव होने की स्थिति में तत्काल सूचना पंजीकरण करने वाले अधिकारी को दी जावे।
5. कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग एक के पैरा 2.100, 2.101 तथा 2.102 के अनुसार आपका पंजीकरण नियमों की वजह समाप्त अथवा निलम्बन किया जा सकेगा।
6. आपको निविदा फार्म हेतु आवेदन करते समय परिशिष्ट 2.21 के कॉलम 5 में दर्शाई गई राशि की किसी भी शेड्यूल बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जो 12 माह से अधिक पुरानी नहीं हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. विभाग द्वारा पंजीकरण नियमों में समय–समय पर परिवर्तन आप पर भी लागू होंगे।
8. आपका सक्षमता की वैधता अवधि दिनांक 03/05/2010 तक है। [illegible] सक्षमता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण वैधता समाप्ति के पूर्व कराना आवश्यक होगा। निविदा प्रपत्र के साथ बैंक सालवेंसी/सक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सहपत्र :- एक

25.11.09
अपर संचालक (वित्त)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. प.अ./48338099 /सी./09 रायपुर, दिनांक 25/11/2009

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर/जगदलपुर/बिलासपुर एवं रा.रा. मार्ग एवं सेतु परिक्षेत्र रायपुर, (छ0ग0)।
2. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, सेतु निर्माण मंडल सहित छत्तीसगढ़।
3. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग/सेतु निर्माण संभाग सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. [illegible] टेण्डर, शॉप नं. 146–150 महालक्ष्मी मार्केट, पंढरी रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :- एक

25.11.09
अपर संचालक (वित्त)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.)

A5 CLASS REGISTRATION [illegible]

अनुमोदित ठेकेदारों के पंजीयन का विवरण

क्र.	ठेकेदार का नाम, पिता का नाम व पूरा पता	शुल्क जमा करने की रसीद क्र. दिनांक तथा कार्यालय का नाम	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अमानत राशि का स्वरूप का एफ.डी.आर. एवं राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, क्रमांक राशि एवं दिनांक	शोध क्षमता प्रमाण पत्र जारी करने वाली बैंक का नाम, क्रमांक, राशि एवं दिनांक	निविदा कार्यों की निविदा हेतु ठेकेदार की श्रेणी	विभाग के जिस परिक्षेत्र में प्रभावशील	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
268	**नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड** **अशोक विहार कालोनी, स्ट्रीट नं. 5, पंडरी, रायपुर (छ0ग0)**	नगी रसीद क्रमांक 79/79 दिनांक 24/11/2009 द्वारा पंजीयन शुल्क रुपये 7500/- (रु. सात हजार पांच सौ) मात्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. तीन, रायपुर में जमा किया है।	1) भारतीय स्टेट बैंक, पंडरी शाखा रायपुर द्वारा जारी एफ.डी.आर. खाता क्रमांक **30967782064** दिनांक 23-11-2009 रु. 2.00 लाख (रु. दो लाख) मात्र निधि तिथि 23-11-2014 तक है, जमा किया है। 2) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, बल्लभगढ़ (हरियाणा) द्वारा जारी राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र दि. 04/11/2009 रुपये 50.00 लाख (रु. पचास लाख) मात्र वैधता तिथि 03/11/2010 तक है, जमा किया है।	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सेक्टर-9 मार्केट, फरीदाबाद द्वारा जारी बैंक शोध क्षमता प्रमाण पत्र दिनांक 25-08-09 रुपये 100.00 करोड़ (रुपये एक सौ करोड़) मात्र वैधता तिथि 24-08-2010 तक है, जमा किया है।	ए – पांच श्रेणी	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ लो.नि.वि.	सम्पूर्ण छ0ग0 शासन लो.नि.वि. में कुल रुपये असीमित तक के सिविल कार्य करने हेतु सक्षम होंगे। यह आदेश पूर्व पृष्ठ की कण्डिका 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 के प्रावधानों के तहत लागू होंगे।

ठेकेदार का हस्ताक्षर

अपर संचालक (वित्त)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लो.नि.वि., रायपुर (छ.ग.)

अपर संचालक (वित्त)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लो.नि.वि., रायपुर (छ.ग.)